

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

आदेश

संख्या-अ०सं०क०-02-54 / 2025-517 /

पटना दिनांक 18/08/26 /

सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, पूर्णियों के पत्रांक-290, दिनांक-08.08.2026 द्वारा अनुशंसा के आलोक में श्री अश्विनी कुमार चौरसिया, प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी पूर्णियों, पूर्णियों को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 (क) के अन्तर्गत दिनांक-08.08.2026 से 31.10.2026 तक (कुल-75 दिन) का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी)

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापक:- अ०सं०क०-02-54 / 2025-332 /

पटना, दिनांक 18/08/26 /

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आस सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पूर्णियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, पूर्णियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री अश्विनी कुमार चौरसिया, प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी पूर्णियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक

18/8